



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

कमांक/२३४/विद्योचित/2015

रायपुर, दिनांक १/२/2015

—: आदेश :-

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रं. एफ 30/94/2014/20-3 नया रायपुर दिनांक 11.03.2014 द्वारा बोर्ड ऑफ स्कूल एण्ड तकनीकी एज्युकेशन बोर्ड छ.ग. नामक संस्था को प्रदान की गयी छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अस्थाई समकक्षता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। इस निलम्बन के कारण बोर्ड ऑफ स्कूल एण्ड तकनीकी शिक्षा द्वारा रिट याचिका कमांक 604/2014 माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर की थी।

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट पिटीशन में दिए गए निर्णय दिनांक 14.11.2014 के अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय होते तक निम्न व्यवस्था रहेगी :-

“ दिनांक 07/11/2012 से दिनांक 10/03/2014 तक उक्त संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थीयों को उच्चतर स्तर पर अध्ययन करने एवं उच्चतर स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जावे। अतः उक्त परीक्षार्थीयों को मण्डल नियमानुसार ग्राह्यता प्रदाय किया जावे तथा पत्रतानुसार परीक्षा में सम्मिलित किया जावे।”

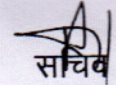

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पृष्ठांकन कमांक/२३५/विद्योचित/2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक १/२/2015

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग छ0ग0 शासन मंत्रालय नया रायपुर।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, मंत्रालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
3. आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छत्तीसगढ़।
4. सचिव राज्य ओपन स्कूल छत्तीसगढ़।
5. प्राचार्य समस्त मान्यता प्राप्त संस्थएँ छत्तीसगढ़।
6. ओ.एस.डी. विद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा बोर्ड, बिलासपुर।
7. समस्त संभागीय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रोग्रामर छ.ग.मा.शि.मं. डाटा कक्ष की ओर मण्डल वेब साइट में अपलोड करने हेतु।


सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर